Date: **17-10-2026**

To,

The BSE Limted Listing Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, MUMBAI- 400 001 **Scrip Code: 539837**	**The National Stock Exchange of India Ltd.** The Listing Department, Exchange Plaza, C-1, Block-G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051 **Company Code: RPEL**

Sub: Newspaper publication of Un-audited Financial Results for the quarter/half-year ended September 30, 2026

Dear Sir/ Ma'am,

In compliance of Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, please find enclosed copies of newspaper advertisement in [The Financial Express (English) and Nafa Nuksan (Hindi)] both dated 16th October, 2025, wherein the Un-audited financial results of the Company for the Quarter/half-year ended 30th September, 2026 have been published.

Kindly take above on record and oblige.

Thanking You

Yours Faithfully
For Raghav Productivity Enhancers Limited

Neha Rathi Digitally signed by Neha Rathi Date: 2026.10.17 11:33:43 +05'30'

Neha Rathi
(Company Secretary)
M.No.: A38807

Registered Office:
Office No. 36, 4th Floor, Alankar Plaza, Central Spine, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302 023
CIN: L27109RJ2009PLC030511 | **P:** +91 141 2235760 - 61 | **E:** rammingmass@gmail.com | **W:** www.rammingmass.com

RULES OKAYED, TO BE PUBLISHED IN 2 WEEKS: GOVT

SC gives Centre till Nov 16 to submit final airfare rules

NITIN KUMAR
New Delhi, October 16

THE SUPREME COURT on Friday directed the Centre to submit the finalised rules to regulate airfares by November 16, after Solicitor General Tushar Mehta informed the court that the rules had received government approval and would be published within a fortnight.

The court took note of the Centre's submission and listed the matter for next hearing on November 16.

A bench of Justices Vikram Nath, R Mahadevan and Aparesh Singh was hearing a public interest litigation (PIL) challenging the excessive and arbitrary fluctuations in airfares and seeking greater transparency and regulatory oversight of airline pricing.

The court's direction follows its earlier orders asking the Centre to frame rules under the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024, to address concerns over sharp hikes in fares, particularly during festivals and holidays.

During an August hearing, the apex court had asked the government to take action against airlines that failed to comply with its directives. The Centre had then said the rules to regulate airfares would be finalised within three weeks.

The civil aviation ministry had told the court that it was issuing office memorandums to airlines on pricing practices until the rules were finalised, but airlines were not complying with the directives. The court had also examined the draft rules submitted by the government in a sealed cover.

AFFORDABILITY PUSH

- Govt has approved rules under the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024, Solicitor General Tushar Mehta tells SC
- Rules aim to address arbitrary airfare hikes and unpredictable fare fluctuations, especially during holidays and festivals
- PIL seeks greater transparency and regulatory oversight of airline pricing
- Centre says airlines have not complied with interim pricing directives
- SC had earlier examined draft rules submitted by the Centre in a sealed cover
- Govt cites volatile ATF prices as a challenge to affordable airfares

In July, the Supreme Court had directed the Centre to submit the rules within two weeks, asking it to place them before the court in a sealed cover, irrespective of whether they had been laid before Parliament. The government had informed the court that the rules had been prepared and were undergoing translation before being presented to Parliament.

The Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024, which replaced the Aircraft Act, 1934, came into force in January 2025.

The matter dates back to November 2025, when the Supreme Court sought responses from the Centre and other authorities on a plea seeking binding regulatory guidelines to curb unpredictable fluctuations in airfares and ancillary charges imposed by airlines. The petition, filed by social activist SL Laxminarayanan, seeks the establishment of an independent regulator to ensure transparency in airline pricing and protect passenger interests.

On February 23, the court had expressed concern over sharp increases in airfares, describing the issue as serious. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta had directed the Centre to file an affidavit within four weeks detailing the steps being taken to address the issues raised in the petition.

Separately, Civil Aviation Minister Kinjarapu Rammohan Naidu said on October 15 that the government wanted airfares to remain affordable, but sharp fluctuations in aviation turbine fuel (ATF) prices were making this difficult.

Dipke, Bora among 150 detained in CJP rally

- Flash protests held across central Delhi; Opposition slams police action

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, October 16

People participate in the 'Lehra Do Tiranga' march in New Delhi on Friday; Police detain AISA chief Neha Bora at Mandi House PTI

TRICOLOURS IN HAND and raising slogans, hundreds of supporters of the Cockroach Janta Party (CJP) and members of student organisations held a series of flash protests in central Delhi on Friday evening after police denied permission for the party's 'Lehra Do Tiranga' march at Connaught Place.

CJP founder Abhijeet Dipke and All India Students' Association (AISA) president Neha Bora were among the around 150 protesters detained by Delhi Police. The detentions drew sharp attacks from the opposition, with Congress leader Rahul Gandhi backing the protesting students and former West Bengal chief minister Mamata Banerjee terming it as being "nothing short of an undeclared Emergency".

The protesters walked through the inner circle of Connaught Place, intermittently raising the slogan of "Jai Hind" before dispersing and regrouping at different spots.

Students and AISA members protested at Mandi House, demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, rollback of the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, and withdrawal of the 2023 Election Commissioner Appointment Act. Minor altercations broke out between the protesters and police as the latter attempted to disperse the crowd. Police also began detaining protesters who had reached Connaught Place.

Dipke and Bora were preventively detained by Delhi Police while on their way to participate in the protests. While Dipke was picked up from his residence in Jhandewalan, Bora was detained at Mandi House. The detentions triggered scenes of jostling among crowds, camera crews and security personnel.

"Those attempting to disrupt law and order are being detained," a police officer said.

The CJP and AISA questioned the whereabouts of Dipke and Bora, alleging the two were being denied access to lawyers and associates after being detained by Delhi Police.

The CJP alleged that its founder Dipke had been taken to an undisclosed location and that it had lost contact with him, while AISA claimed its president Bora was being held alone at the Anti-Narcotics Task Force in Mangolpuri.

"Why does this government treat youth like terrorists? We are equal citizens of India and we deserve all the protections and rights of the Constitution!" the CJP said in a post on X.

The Aam Aadmi Party held a Tiranga march near Rashtrapati Bhavan and its headquarters in central Delhi. Holding tricolours and raising slogans, scores of party workers marched outside their office on Pandit Ravi Shankar Shukla Lane.

Congress leader Rahul Gandhi on Friday slammed the Delhi Police for refusing to register an FIR on the "assault" of student protesters by security personnel, saying that police can break bones but not a 'satyagraha'. The Congress will pursue every legal route against the officers responsible, he added.

'Oppn using youth to fuel anarchy'

DEFENCE MINISTER RAJNATH Singh on Friday accused the Congress and its allies of seeking regime change along the lines of Bangladesh and using the youth to spread "anarchy". "The youth are being made pawns in the politics of anarchy," he said during a conference.

PTI

MHA panel on Jantar Mantar formed after July stir

MAHENDER SINGH MANRAL
New Delhi, October 16

THE DENOTIFICATION OF Jantar Mantar as a designated protest site, a challenge against which will be heard by the Supreme Court in the coming days, did not happen overnight.

The denotification followed recommendations by a committee formed by the Ministry of Home Affairs (MHA) on August 20 — exactly a month after the Cockroach Janta Party's march from Jantar Mantar to Parliament on July 20 — to examine alternative venues for protests in the national capital.

On October 12, the Delhi Police denotified Jantar Mantar as a designated protest site and identified three alternative venues — Ramlila Ground, Burari Ground and CBD Ground — for protest gatherings in the capital. Police attributed the change to recommendations made by the committee.

The panel, headed by New Delhi Municipal Council Chairperson Manoj Kumar Dwivedi, had senior officials of the Municipal Corporation of Delhi, Delhi government, Delhi Police and the MHA as its members.

"On August 28, after the committee was formed, all the members decided to visit Jantar Mantar. After visiting the protest site, they decided to inspect three other venues, Ramlila Ground in Central Delhi, Burari in North Delhi and CBD Ground in East Delhi," a source said.

During inspections, officials assessed the traffic situation, the possible impact of gatherings on local markets and security arrangements required at each venue. "Around 5.30pm, all officials returned to their offices after visiting the sites, and Dwivedi was asked to prepare a report for MHA," the source said.

The ministry received the report in September. In the meantime, the committee discussed the matter with legal experts. "After discussions, it was decided that Delhi Police Commissioner Anurag Kumar was empowered to issue such a notification," the source said.

AURUM PropTech

Aurum PropTech Limited

CIN: L72300MH2013PLC244874

Registered office: Aurum Q1, Aurum Q Parc, Thane Belapur Road, Navi Mumbai - 400710, Maharashtra, India.
Phone: +91 22 6911 1800 | Email: contact@aurumproptech.in | Website: www.aurumproptech.in

Statement of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended September 30, 2026

The Board of Directors of the Company, at the meeting held on **October 16, 2026**, approved the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended September 30, 2026 ("Financial Results").

The Financial results along with the Limited Review Report, have been posted on the Company's website at:
https://www.aurumproptech.in/investor/financial-information/quarterly-earnings
and can be accessed by scanning the QR code.

For and on behalf of the Board of Directors
Aurum PropTech Limited

Onkar Shetye
Director
DIN: 06372831

Location: Navi Mumbai
Date: October 16, 2026

RAGHAV PRODUCTIVITY ENHANCERS LTD.
(Formerly - Raghav Ramming Mass Ltd.)

Registered Office: Office No. 36, 4th Floor, Alankar Plaza, Central Spine, Vidyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan- 302023
CIN: L27109RJ2009PLC030511 • Phone: +91 141 2235760-61
Email: rammingmass@gmail.com • Web: www.rammingmass.com

Un-Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter/ Half-year ended September 30, 2026

The Board of Directors of the Company, at the meeting held on October 16, 2026, approved the Un-audited financial results (Standalone & Consolidated) of the Company for quarter/half-year ended September 30, 2026 ('Financial Results")

The Financial Results along with Limited Review Report have been posted on the Company's website at **https://www.rammingmass.com/pdf/signRPEL_sept30092026.pdf** and can be accessed by scanning the QR Code.

By Order of the Board
For Raghav Productivity Enhancers Limited
Sd/-
Rajesh Kabra (Managing Director)
DIN: 00935200

Place: Jaipur
Date: 16th October, 2026

BENARES HOTELS LIMITED

Regd. Office: : Hotel Taj Ganges, Nadesar Palace Compound, Varanasi - 221002
CIN : L55101UP1971PLC003480
E-mail: investor@tajhotels.com ; Website: www.benareshotelslimited.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	Quarter ended Sep 30, 2026 (Unaudited & Reviewed)	Quarter ended June 30, 2026 (Unaudited & Reviewed)	Quarter ended Sep 30, 2025 (Unaudited & Reviewed)	Half Year ended Sep 30, 2026 (Unaudited & Reviewed)	Half Year ended Sep 30, 2025 (Unaudited & Reviewed)	Year ended March 31, 2026 (Audited)
Total Income from Operations	3,152.14	3,388.92	2,389.57	6,541.06	4,891.04	13,913.84
Net Profit for the period before tax (before and after Exceptional items)	874.47	1,107.36	825.64	1,981.83	1,845.06	5,806.43
Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	655.72	824.87	607.85	1,480.59	1,366.00	4,323.89
Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	654.87	826.34	605.21	1,481.21	1,360.72	4,316.39
Paid up Equity Share Capital (Face Value - ₹ 10/- per share)	130	130	130	130	130	130
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	-	-
Earnings Per Share (in ₹) - Basic and Diluted (Not annualised*) (Face Value - ₹ 10/- per share)	*50.44	*63.45	*46.76	*113.89	*105.08	332.61

Note :
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results are available on the websites of Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the Company's website at www.benareshotelslimited.com. The same can be accessed by scanning the QR Code provided below:

For and on behalf of the board
DR. ANANT NARAIN SINGH
Chairman
(DIN : 00114728)

Dated : October 16, 2026
Place : Varanasi

STERLING & WILSON

STERLING AND WILSON RENEWABLE ENERGY LIMITED

EXTRACT OF CONSOLIDATED & STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2026

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Consolidated Quarter ended 30.09.2026 (Unaudited)	Consolidated Quarter ended 30.09.2025 (Unaudited)	Consolidated Half Year ended 30.09.2026 (Unaudited)	Standalone Quarter ended 30.09.2026 (Unaudited)	Standalone Quarter ended 30.09.2025 (Unaudited)	Standalone Half Year ended 30.09.2026 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	1,527.50	1,748.60	3,117.83	1456.33	1276.07	2943.44
2	Net Profit / (Loss) for the period / year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	16.83	76.69	73.48	29.40	15.90	100.22
3	Net Profit / (Loss) for the period / year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16.83	(503.41)	73.48	29.40	(2622.52)	100.22
4	Net Profit / (Loss) for the period / year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16.82	(477.62)	70.04	27.88	(2583.54)	95.68
5	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the period / year [Comprising Profit/ (Loss) for the period / year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	10.25	(534.28)	83.99	24.05	(2595.31)	89.94
6	Paid - up Equity Share Capital (face value of ₹ 1/- each)	23.35	23.35	23.35	23.35	23.35	23.35
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	1. Basic (in ₹)	0.82	(20.27)	3.15	1.19	(110.63)	4.15
	2. Diluted (in ₹)	0.82	(20.27)	3.14	1.19	(110.63)	4.09

Notes:
a) The above financial results, as reviewed and recommended by the Audit Committee at its meeting held on October 15, 2026, have been approved by the Board of Directors at its meeting held on October 15, 2026. The Statutory Auditors of the Company have conducted Limited Review of the above financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2026.
b) The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Company i.e. [illegible]

For Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
Sd/-
Khurshed Daruvala
Chairman
DIN: 00216905

Place : UAE
Date : October 16, 2026

CIN: L74999MH2017PLC292281
Reg. Office: 9th Floor, Universal Majestic, P.L. Lokhande Marg, Chembur (West), Mumbai - 400043, Maharashtra.
Tel: (91-22) 25485300 | **Fax:** (91-22) 25485331 | **Email:** ir@sterlingwilson.com | **Website:** www.sterlingandwilsonre.com

For Your Information

Countries Building the Most Nuclear Reactors:

China - 37
India - 6
Russia -6
Egypt - 4
Türkiye - 4
South Korea- 3
Bangladesh- 2
Japan- 2
Ukraine- 2
United Kingdom- 2

(World Nuclear Association)

Compiled by Nafanuksan Research

अमृत वचन

बदले की बजाय बदलाव की भावना रखें। दुश्मनी बदले से नहीं, प्रेम और क्षमता से ही मिटाई जा सकती है। जो क्षमा करेगा और बीती बातों को भूल जाएगा, उसे प्रभु के घर से पुरस्कार मिलेगा।

- श्री चन्द्रप्रभ

Thoughts of the time

The more you sweat in peacetime, the less you bleed during war.

- Suresh Rathi

राजस्थानी कहावत

घेटै रावजी मार्‌यौ कांई?

मेढ़ा रावजी ने मारा है क्या?

■ छोटे कार्य का बड़ा श्रेय देना। बड़े व्यक्ति के हाथों छोटा काम भी बड़ा हो जाता है।

-स्व. विजय दान देथा
साभार : रूपायन संस्थान, बोरूंदा

VKI की इंडस्ट्रीयल युनिट्स को बचाने के लिए RIICO का वैकल्पिक जमीन फॉर्मूला

जयपुर@कार्यालय संवाददाता

एनजीटी के आदेश से बढ़ी उद्योगों की चिंता, 2.9087 हेक्टेयर जमीन पौधारोपण के लिए देने का प्रस्ताव

जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया (वीकेआई) में संचालित इंडस्ट्रियल यूनिट्स के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (रीको) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), भोपाल में आवेदन दायर किया है।

मामला बीड़ पापड़ गांव के खसरा नंबर 7/2 की 2.9087 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है, जिस पर वन विभाग के कब्जे को लेकर औद्योगिक इकाइयों पर असर पड़ने की आशंका है। 16 सितंबर 2026 को कमलकांत तिवारी की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने वन विभाग को खसरा नंबर 7/2 की 2.9087 हेक्टेयर जमीन का कब्जा लेने का निर्देश दिया था। इस आदेश से संबंधित जमीन पर संचालित इंडस्ट्रियल यूनिट्स के कारोबार पर असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए रीको ने ट्रिब्यूनल के सामने वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के तहत रीको विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में ही किसी दूसरी जगह 2.9087 हेक्टेयर जमीन वन लगाने के लिए आरक्षित करेगा। साथ ही, इस जमीन पर पौधारोपण और वन विकसित करने का पूरा खर्च भी रीको उठाएगा। इस तरह कॉरपोरेशन ने औद्योगिक इकाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए वन भूमि से जुड़े विवाद का समाधान निकालने का विकल्प पेश किया है। मामले में रीको की अर्जी पर एनजीटी में जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है।

ट्रिब्यूनल के सामने औद्योगिक इकाइयों का पक्ष मजबूती से रखने के लिए रीको ने एडिशनल एडवोकेट जनरल और एक वरिष्ठ वकील को भी नियुक्त किया है। रीको का कहना है कि वह कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित समाधान निकालने के साथ प्रभावित उद्यमियों के हितों का भी ध्यान रख रहा है।

फोर्टी फूड एक्सपो एंड नाइट मार्केट 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक

जयपुर@कार्यालय संवाददाता

बीटूबी फूड एक्सपो और ओडीओपी एग्जीबिशन भी रहेंगे आकर्षण

फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) और एनबीए की ओर से 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक मानसरोवर के वीटी ग्राउंड पर फूड एक्सपो एंड नाइट मार्केट का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों के लिए में फोर्टी कमेटी मीट का आयोजन किया गया। इसमें फोर्टी अध्यक्ष, सुरेश अग्रवाल, आरएसएस के पदाधिकारी प्रताप भानू सिंह, फोर्टी एडवाइजरी पूर्व आईएएस पुरुषोत्तम अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष पीडी गोयल, डॉ अरुण अग्रवाल, विनोद गुप्ता, मुख्य सचिव नरेश सिंघल, गिरधारी खंडेलवाल, यूथ विंग अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, उपाध्यक्ष कैलाश खंडेलवाल, वुमन विंग अध्यक्ष नीलम मित्तल, यूथ विंग मुख्य सचिव प्रशांत शर्मा, एनबीए के निदेशक नितिन अग्रवाल, अमित परनामी और बीके शर्मा मौजूद रहे।

सुरेश अग्रवाल ने बताया कि जयपुर विश्व भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं, लेकिन शाम 5 बजे बाद जयपुर में कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जहां देश-विदेश के पर्यटक खाने-पीने और शॉपिंग का आनंद ले सकें। इसलिए फोर्टी ने क्रिसमस से लेकर नए साल के पहले दिन तक (25 दिसंबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक) मानसरोवर के वीटी ग्राउंड पर नाइट मार्केट और फूड एक्सपो लगाने की पहल की है, जहां सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बीटूबी फूड एक्सपो और शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक नाइट मार्केट लगाए जाएंगे। इसमें राजस्थान के साथ देशभर के मशहूर व्यंजनों का एक ही जगह स्वाद लिया जा सकेगा। इसके साथ यहां पर्यटकों के साथ जयपुरवासियों की आवश्यकता और पसंद को ध्यान में रखकर राजस्थान के बेहतरीन उत्पादों शॉपिंग के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। यहां 7 दिन तक म्यूजिकल नाइट का आयोजन होगा, जिसमें देश के मशहूर आर्टिस्ट परफॉर्मेंस देंगे।

एनबीए के नितिन अग्रवाल ने बताया कि हफ्तेभर के इस पूरे आयोजन में राजस्थान की फूड इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए 26 से 28 दिसंबर तक बीटूबी फूड एक्सपो लगाई जाएगी। जिसमें फूड उत्पादों के साथ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मशीनरी का प्रदर्शन होगा।

ब्रीफ न्यूज

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को डिजिटल भुगतान से जोड़ने की पहल

उदयपुर@नि.सं.। राजस्थान ग्रामीण बैंक, एनपीसीआई भीम और वुमेंस वर्ल्ड बैंकिंग की नई साझेदारी से ग्रामीण महिलाओं का वित्तीय भविष्य बेहतर बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण इलाकों की लगभग 3 लाख महिलाओं को भीम पेमेंट्स ऐप के जरिए डिजिटल भुगतान से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उदयपुर में शुरू हुई इस खास योजना के तहत राजस्थान ग्रामीण बैंक, एनपीसीआई भीम और वुमेंस वर्ल्ड बैंकिंग ने आपसी साझेदारी की है। वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग की दक्षिण एशिया प्रमुख कल्पना अजयन् ने कहा कि महिलाएं डिजिटल वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल करेंगी या नहीं, यह तय करने में भरोसा सबसे अहम भूमिका निभाता है। इस पहल की शुरुआत उदयपुर में की गई है। शुरुआत में ग्रामीण इलाकों की 100 से अधिक महिलाओं को इस ऐप के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे अपने रोजमर्रा के लेन-देन आसानी से कर सकें। एनपीसीआई भीम की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललिता नटराज के अनुसार महिलाओं को केवल इस बदलाव का हिस्सा नहीं बल्कि इसे आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। राजस्थान ग्रामीण बैंक के मुकेश भारतीय ने कहा कि इस साझेदारी से ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा और वे डिजिटल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगी।

राजस्थान चैंबर एवं सिडबी के मध्य हुआ एमओयू, एमएसएमई को मिलेगा लाभ

जयपुर@का.सं.। राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जयपुर तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के मध्य चैंबर भवन में डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशंस कार्यक्रम के अंतर्गत एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू का उद्देश्य राजस्थान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को नई गति प्रदान करना है। इस एमओयू के अंतर्गत राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रदेशभर में अपने व्यापक सदस्यता आधार, व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के नेटवर्क तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी सहयोग के माध्यम से DIA कार्यक्रम के प्रभावी प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में सहयोग करेगा। राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन ने कहा कि चैंबर प्रदेशभर में फैले अपने सदस्यों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उद्योग संघों एवं एमएसएमई तक इस कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने, उन्हें उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराने तथा कार्यक्रम में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। सिडबी के साथ यह सहयोग राजस्थान में एमएसएमई के लिए एक अधिक संगठित, डिजिटल रूप से सक्षम और प्रभावी व्यावसायिक सहायता तंत्र विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एमओयू पर मानद महासचिव आनंद महरवाल व महाप्रबंधक दिनेश कुमार ने पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में चैंबर के कार्यकारी अध्यक्ष डी एस भंडारी, डॉ आर. एस. जैमिनी आत्माराम गुप्ता , वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. अरुण अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक योगेश नारायण माथुर, सचिव दिनेश कुमार कानूनगो आदि उपस्थित थे।

नेशनल • इंटरनेशनल

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में FIIT-JEE और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ फाइल की चार्जशीट

लखनऊ@आईएएनएस। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने छात्रों से वसूली गई फीस के कथित गबन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एफआईआईटीजेईई (FIIT-JEE) लिमिटेड और उसके निदेशकों दिनेश कुमार गोयल एवं मोनिला गोयल के खिलाफ गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। ईडी ने गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की थी। एजेंसी ने आरोपियों को दोषी ठहराने और जांच के दौरान जब्त एवं अस्थायी रूप से कुर्क की गई 71.88 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है।

ईडी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा एवं मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस द्वारा दर्ज चार एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के उन प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थीं, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420, 120बी और 34 के अनुरूप हैं। एफआईआर के अनुसार, एफआईआईटीजेईई ने जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सहित दो से चार साल के कोचिंग कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक छात्र से अग्रिम रूप से 2.8 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए तक की फीस कथित तौर पर वसूली थी। संस्थान ने छात्रों को आश्वासन दिया था कि पाठ्यक्रम पूरे कराए जाएंगे। हालांकि, ईडी ने आरोप लगाया कि वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण शिक्षकों ने संस्थान छोड़ दिया और इसके बाद कई कोचिंग केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक बंद हो गए।

एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि प्रबंधन ने छात्रों की फीस को दूसरी जगह इस्तेमाल किया और शिक्षकों के संस्थान छोड़ने के बावजूद नए छात्रों का दाखिला जारी रखा। इस मामले में नोएडा पुलिस भी आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, जिसमें दिनेश कुमार गोयल और मोनिला गोयल को आरोपी बनाया गया है। पुलिस का आरोपपत्र लगभग 300 पीड़ितों, कोचिंग सेंटर संचालकों और अन्य गवाहों के बयानों के अलावा जांच के दौरान जुटाई गई फीस की रसीदों और अन्य साक्ष्यों पर आधारित है। ईडी की जांच में दावा किया गया कि एफआईआईटीजेईई ने मई 2024 से फरवरी 2025 के बीच अचानक 32 केंद्र बंद कर दिए। इससे संस्थान में नामांकित 14,411 छात्र प्रभावित हुए, जो कोचिंग की फीस पहले ही जमा कर चुके थे। एजेंसी के अनुसार, कंपनी नए छात्रों को दाखिला देती रही। इनमें मार्च 2029 तक चलने वाले कार्यक्रमों के छात्र भी शामिल थे, जबकि कंपनी को कथित तौर पर इस बात की जानकारी थी कि वह इन पाठ्यक्रमों को पूरा कराने में सक्षम नहीं होगी।

ईडी ने कहा कि कथित तौर पर अपने पास रखी गई और गबन की गई 85.79 करोड़ रुपए की फीस की पहचान अपराध से अर्जित आय के रूप में की गई है। जांच में यह भी सामने आया कि दिनेश कुमार गोयल और मोनिला गोयल को वित्त वर्ष 2022-23 से आगे की अवधि में वेतन के रूप में 24.92 करोड़ रुपए मिले। जांच एजेंसी के अनुसार, दिनेश कुमार गोयल को हर महीने लगभग 56 लाख रुपए, जबकि मोनिला गोयल को हर महीने 25 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। ईडी के मुताबिक, निदेशकों को भुगतान जारी रहा, जबकि अन्य कर्मचारियों के वेतन में देरी हो रही थी या उनका भुगतान नहीं किया जा रहा था और कोचिंग केंद्र बंद हो रहे थे। ईडी ने इससे पहले 24 अप्रैल 2025 को सात ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान 10 लाख रुपए नकद और 4.86 करोड़ रुपए मूल्य के आभूषण जब्त किए गए थे।

डेटा सेंटर को रणनीतिक बुनियादी ढांचे के रूप में देखने की जरूरत : नीति रिपोर्ट

नयी दिल्ली@एजेंसी। नीति आयोग ने कहा कि डेटा सेंटर को केवल निवेश परियोजनाओं के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक बुनियादी ढांचे के रूप में देखा जाना चाहिए। आयोग ने 'सतत विकास की योजना बनाने में राज्यों की मदद के लिए डेटा सेंटर मूल्यांकन रूपरेखा' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार के साझा मानक, प्रारूप और मार्गदर्शन से सभी राज्यों में डेटा केंद्रों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। इसमें कहा गया कि डेटा सेंटर के विकास को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय प्रणालियों की सुरक्षा, जनहित में मापने योग्य लाभ सुनिश्चित करने और परियोजना के पूरे जीवनचक्र के दौरान स्पष्ट जवाबदेही बनाए रखने के लिए व्यावहारिक दिशा-निर्देशों की जरूरत है। रिपोर्ट में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए तैयारी से जुड़ी कमियों की पहचान करने, जिम्मेदार इकाई और काम पूरा करने की समयसीमा तय करने के साथ ही परियोजना के पूरे जीवनचक्र तथा उसे बंद करने की योजना बनाने पर जोर दिया गया है। नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अच्छी बात यह है कि सभी राज्य डेटा सेंटर को आकर्षित करने के लिए नीतियां बना रहे हैं। जैन ने कहा, ''मेरी जानकारी के अनुसार, नौ या दस राज्यों ने शुरुआती रुचि दिखाई है।''

आम सूचना

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजीकृत साझेदारी फर्म मैसर्स जयपुर इंश्योरेंस ब्रोकर्स, जिसका पंजीकरण क्रमांक RF/JPU/2018/2163 है तथा जिसका कार्यालय 111, प्रथम तल, गणपति प्लाजा, एम.आई. रोड, जयपुर-302001, राजस्थान में स्थित है (जिसे आगे "फर्म" कहा जाएगा), के गठन एवं साझेदारी में दिनांक 15 अक्टूबर, 2026 से परिवर्तन हुआ है। उक्त परिवर्तन के अंतर्गत श्री मुकेश पारीक, पुत्र श्री गोविंद राम पारीक, फर्म से सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा उनके स्थान पर श्री रचित जिंदल, पुत्र श्री सुनील कुमार जिंदल, को फर्म में नए साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया है। अब फर्म के निरंतर कार्यरत साझेदार श्री महेश चंद गोयल एवं श्री रचित जिंदल हैं, जो पूर्ववत् उसी नाम से फर्म का व्यवसाय संचालित करते रहेंगे। सेवानिवृत्त साझेदार श्री मुकेश पारीक दिनांक 15 अक्टूबर, 2026 अर्थात् अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् फर्म द्वारा किए गए किसी भी कार्य, कृत्य, व्यवहार, लेन-देन, प्रतिबद्धता, दावे अथवा ऋण/दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई आपत्ति अथवा दावा हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

मैसर्स जयपुर इंश्योरेंस ब्रोकर्स

बाहरी कारणों से रुपये में आई गिरावट, आरबीआई जारी रखेगा उतार-चढ़ाव रोकने के प्रयास : सीतारमण

नयी दिल्ली@एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि पिछले डेढ़ साल में रुपये के मूल्य में बाहरी कारकों के चलते काफी गिरावट आई है और घरेलू मुद्रा में अत्यधिक उतार-चढ़ाव रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपने प्रयास जारी रखेगा।

सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि, विदेशी मुद्रा भंडार सहित भारत के व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक मजबूत हैं और आरबीआई घरेलू मुद्रा में स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम उठा रहा है।

उन्होंने यहां ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम 2026 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मुझे भरोसा है कि आरबीआई रुपये में अत्यधिक उतार-चढ़ाव रोकने के लिए आगे भी कदम उठाएगा। प्रतिभूति बाजार में करों के बारे में पूछे जाने पर सीतारमण ने कहा कि प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर में बदलाव को लेकर चर्चा होना अच्छा है और वह इस संबंध में दिए जा रहे सुझावों को गंभीरता से सुनेंगी। उन्होंने कहा, ''हम बजट के काफी करीब हैं और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। मेरे लिए यह बताने का सबसे अच्छा समय नहीं है कि मैं किन प्रस्तावों पर विचार करूंगी और किन पर नहीं।'' वित्त मंत्री ने कहा कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर ऐसा विषय है जिस पर कई लोग अपनी राय रख रहे हैं। भारत और विदेश में निवेशकों के साथ हुई बातचीत में भी यह मुद्दा उठा है।

सरकार ने सोने-चांदी के ड्यूटी ड्रॉबैक दरों में की कटौती, गोल्ड पर 3.1% और सिल्वर पर करीब 9% की कमी

नई दिल्ली@आईएएनएस। केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के आभूषणों तथा अन्य कीमती धातु उत्पादों के निर्यात पर मिलने वाली ड्यूटी ड्रॉबैक दरों में कटौती कर दी है।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, गोल्ड ज्वैलरी पर मिलने वाले ड्यूटी रिफंड में 3.1% और चांदी के आभूषणों एवं अन्य उत्पादों पर मिलने वाले रिफंड में करीब 9% की कमी की गई है। इस फैसले से भारतीय ज्वैलरी निर्यातकों को पहले के मुकाबले कम वित्तीय लाभ मिलेगा और उनके मार्जिन पर सीधा असर पड़ सकता है। ड्यूटी ड्रॉबैक वह व्यवस्था है जिसके तहत निर्यातकों को उन कस्टम और अन्य शुल्कों का रिफंड मिलता है जो निर्यात के लिए तैयार किए गए उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल या इनपुट पर चुकाए गए होते हैं। इसका उद्देश्य निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाना और उत्पादन लागत का बोझ कम करना होता है। नए संशोधन के बाद सोने के आभूषणों के निर्यात पर मिलने वाला ड्यूटी ड्रॉबैक 1,851.99 रुपए प्रति ग्राम से घटाकर 1,794.11 रुपए प्रति ग्राम कर दिया गया है। यानी गोल्ड ज्वैलरी निर्यातकों को अब प्रति ग्राम कम रिफंड मिलेगा। वहीं चांदी से जुड़े उत्पादों पर कटौती और भी अधिक की गई है। चांदी के आभूषणों और अन्य वस्तुओं के निर्यात पर मिलने वाली दर 29,501.09 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 26,859.02 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। इससे चांदी निर्यातकों को लगभग 9% तक का झटका लगा है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने इसी वर्ष जुलाई में ज्वैलरी निर्यात उद्योग को राहत देते हुए ड्यूटी ड्रॉबैक दरों में बड़ा उछाल किया था। उस समय बढ़ती लागत और वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए गोल्ड ज्वैलरी पर मिलने वाला रिफंड 773.17 रुपए प्रति ग्राम से बढ़ाकर 1,851.99 रुपए प्रति ग्राम कर दिया गया था। इसी तरह चांदी के उत्पादों पर मिलने वाली दर 14,990.66 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 29,501.09 रुपए प्रति किलोग्राम की गई थी।

RAGHAV PRODUCTIVITY ENHANCERS LTD.
(Formerly - Raghav Ramming Mass Ltd.)

पंजीकृत कार्यालय: कार्यालय संख्या 36, चौथी मंजिल, अलंकार प्लाजा, सेंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान- 302023
CIN: L27109RJ2009PLC030511 • फोन: +91 141 2235760-61
ईमेल: rammingmass@gmail.com • वेब: www.rammingmass.com

30 सितम्बर, 2026 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक वर्ष के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (एकल और समेकित)

कंपनी के निदेशक मंडल ने 16 अक्टूबर, 2026 को आयोजित बैठक में 30 सितम्बर, 2026 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक वर्ष के लिए कंपनी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) ('वित्तीय परिणाम') को मंजूरी दी।

सीमित समीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट **https://www.rammingmass.com/pdf/signRPEL_sept30092026.pdf** पर पोस्ट किए गए हैं और इन्हें क्यूआर कोड स्कैन करके देखा जा सकता है।

स्थान: जयपुर
दिनांक: 16 अक्टूबर, 2026

बोर्ड के आदेशानुसार
राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरकर्ता/-
राजेश काबरा (प्रबंध निदेशक)
DIN: 00935200